तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **नजरसानी / एलआर / 2006 / 2580 / टोंक** **नारायण बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री अशोकनाथ योगी) अभिभाषक प्रार्थी
श्री वी.पी. सिंह)
श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी,

––

दिनांक : 07 जनवरी, 2020

निर्णय

1– यह नजरसानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 माननीय सदस्य, श्री आर.सी. जैन, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 20–4–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– नजरसानी प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला कलेक्टर, टोंक ने एक रेफरेन्स संख्या–168/2002 राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें कस्बा टोंक की आराजी खसरा नम्बर–5221, 5222, 5223, 5225, 5226, 5227 व 5228 किता 7 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा माफी में दर्ज थी जिस पर खातेदारी प्रदान कर दी गई, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–46 के प्रावधानों के विपरीत हैं। अतः नामान्तरकरण संख्या–467 दिनांक 28–3–1960 निरस्त किया जाकर विवादित भूमि को पुनः माफी की खातेदारी में दर्ज किया जाये। राजस्व मण्डल की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>नजरसानी / एलआर / 2006 / 2580 / टोंक</u>** **नारायण बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 20–4–2004 द्वारा रेफरेन्स स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या–467 को निरस्त कर दिया और उक्त भूमि को माफी तकियाकलां, शरास्ते ओकाफ में दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये। उक्त निर्णय दिनांक 20–4–2004 से व्यथित होकर यह नजरसानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3– बहस उभयपक्ष सुनी गई। 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि निर्णय दिनांक 20–4–2004 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त निर्णय में **''एरर अपारेन्ट ऑन द फेस ऑफ रिकार्ड''** होने के कारण इसे निरस्त कर रेफरेन्स निरस्त किया जाये। जिला कलेक्टर ने प्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया है और अनजान व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है। उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार थे, फिर भी उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। माननीय राजस्व मण्डल ने तकियाकलां को शाश्वत नाबालिग माना है जबकि जबकि तकिया कला शाश्वत नाबालिग की श्रेणी में नहीं आता है। प्रार्थीगण के दादा स्व. मूल्या विवादित भूमि के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने के पूर्व से ही उपकृषक दर्ज थे। प्रार्थीगण के दादा को दिनांक 28–3–1960 को विधिवत खातेदारी अधिकार प्रदान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>नजरसानी / एलआर / 2006 / 2580 / टोंक</u>** **नारायण बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कर दिये गये। 44 साल के बाद बिना किसी ठोस कारण के विवादित भूमि को तकिया कला की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। अतः प्रार्थीगण की नजरसानी स्वीकार किये जाने योग्य है। 5– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि नामान्तरकरण संख्या–467 में विवादित आराजी माफी में दर्ज थी जिसे मूल्या वल्द रामा, कौम माली के खाते में दर्ज करने का आदेश पारित हो गया। जमाबन्दी संवत 2037–40 के अनुसार विवादित भूमि पर मूल्या पुत्र रामा, कौम माली दर्ज है तथा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर बने हैं। इस प्रकार यह सिद्ध है कि विवादित भूमि पहले माफी में दर्ज थी और नामान्तरकरण संख्या–467 द्वारा मूल्या पुत्र रामा के नाम दर्ज हो गई। मूल्या की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसानों को जिला कलेक्टर, टोंक ने नोटिस जारी किया और उनका पक्ष सुनकर निर्णय दिनांक 22–1–2002 द्वारा राजस्व मण्डल में रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया। राजस्व मण्डल में भी प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये अपने निर्णय दिनांक 20–4–2004 द्वारा रेफरेन्स स्वीकार कर लिया गया। उक्त निर्णय में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। प्रार्थीगण को हर बार सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उक्त नजरसानी गलत तथ्यों पर आधारित है, जो काबिल निरस्तनीय है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>नजरसानी / एलआर / 2006 / 2580 / टोंक</u>** **नारायण बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। 7– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तरकरण संख्या–467 दिनांक 28–3–1960 में आराजी खसरा नम्बर–5221 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर–5222 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर–5223 रकबा 2 बिस्वा, 5225 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर–5226 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर–5227 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर–5228 रकबा 15 बिस्वा किता 7 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा आराजी माफी तकिया कला बहतमाम शरस्ते औकाफ से मूल्या पुत्र रामा, कौम माली के नाम खातेदारी दर्ज की गई। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर–5773, 5774, 5775, 5776, 5778, 5779, 5780 बने जो जमाबन्दी संवत 2037–40 में मूल्या पुत्र रामा के नाम खातेदारी में दर्ज है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक ने प्रकरण संख्या–57/83 में निर्णय दिनांक 24–3–1989 के द्वारा मूल्या पुत्र रामा माली के विरूद्ध रेफरेन्स बनाकर राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया। राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 12–3–1997 द्वारा रेफरेन्स पुनः जिला कलेक्टर, टोंक को यह निर्देशित करते हुये लौटा दिया कि अप्रार्थीगण की मृत्यु हो चुकी है अतः इनके विधिक वारिसान की जांच कर उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर	

अग्रिम कार्यवाही करें।

8– राजस्व मण्डल के उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार जिला कलेक्टर, टोंक ने मूल्या पुत्र रामा के विधिक वारिसान की जांच की। उन्हें पक्षकार बनाया व उनको जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये, लेकिन उन्होंने न तो कोई साक्ष्य / सबूत प्रस्तुत किये और न ही बहस की। जिला कलेक्टर, टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 22–1–2002 द्वारा रेफरेन्स राजस्व मण्डल में प्रस्तुत करने का निर्णय प्रदान किया। उक्त निर्णय द्वारा ही रेफरेन्स राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है।

9– जिला कलेक्टर, टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 22–1–2002 में अंकित किया है कि **''पक्षकारान को सूचित किया कि वह आगामी सुनवाई हेतु न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में दिनांक 19–3–2002 को उपस्थित होंवे।''** प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री सीताराम उस दिन उपस्थित थे। इस प्रकार प्रार्थीगण पूर्णतः सूचित थे और उन्हें दिनांक 19–3–2002 को राजस्व मण्डल में उपस्थित होना था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुये और एकतरफा निर्णय दिनांक 20–4–2004 को पारित कर दिया। प्रार्थीगण को जिला कलेक्टर, टोंक के समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और निर्णय दिनांक 22–1–2002 के द्वारा प्रार्थीगण को सूचित कर दिया गया कि उन्हें दिनांक 19–3–2002 को राजस्व मण्डल, अजमेर में उपस्थित होना था

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>नजरसानी / एलआर / 2006 / 2580 / टोंक</u>** **नारायण बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	लेकिन वे उपस्थित नहीं हुये। प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में रेफरेन्स स्वीकार कर लिया गया। उक्त निर्णय में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नजर नहीं आती है। अतः उक्त नजरसानी में कोई सारभूत तथ्य नजर नहीं आता है। 10– फलस्वरूप प्रार्थीगण की यह नजरसानी निरस्त की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरिशंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>नजरसानी / एलआर / 2006 / 2580 / टोंक</u>** **नारायण बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए